किशोरवय बच्चों के कल्याण में जनजातीय कार्य विभाग की भूमिका –एक दृष्टि

कार्यालय, संभागीय उपायुक्त,

जनजातीय कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति विकास, इंदौर,संभाग इंदौर

विभाग अन्तर्गत संभाग में संचालित शैक्षणिक संस्थाएँ :–

जनजातीय कार्य विभाग द्वारा छात्र–छात्राओं (05 से 18 वर्ष की आयु) के शैक्षणिक विकास के लिए विभिन्न स्तर पर किए जाने वाले प्रमुख कार्यो में

- प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाएं जिनमें मध्यान्ह भोजन व्यवस्था, निशुल्क शिक्षा, छात्रवृति, गणवेश, पाठ्य पुस्तक प्रदाय की जाती है।
- हाईस्कूल ,उ.मा.वि. संस्थाओं में छात्रवृत्ति, सायकल वितरण ।

सी.एम. राईज विद्यालय – 43

- शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हेतु संभाग के विकास खण्डों में सर्वसुविधायुक्त अत्याधुनिक संसाधनो (स्मार्ट बोर्ड) द्वारा स्कूलों का संचालन।
- इस योजना अंतर्गत प्रत्येक बसाहट के 15 किलोमीटर के दायरे में एक उच्च गुणवत्ता युक्त विद्यालय संचालित किया जा रहा है। जिसमें कक्षा के.जी. से 12वीं तक अध्ययन अध्यापन एवं परिवहन हेतु निशुल्क बस सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

कन्या शिक्षा परिसर–32

- 13 CBSC– अंग्रेजी माध्यम, 19 मा.शि.मण्डल
- कक्षा 06 टी से 12 वीं तक बालिकाओं हेतु निशुल्क आवासीय सुविधा एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है।
- ई–लाईबेरी गणित विज्ञान की प्रयोगशालाऐं
- शाला गणवेश ट्रेकसूट तथा खेल सामग्री।
- इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना।
- संस्था अन्तर्गत स्मार्ट बोर्ड द्वारा अध्यापन कार्य।

आदर्श आवासीय उ.मा. विद्यालय–03–

- मा.शि.मण्डल के पाठ्यक्रम के अनुरूप शिक्षण व्यवस्था।
- निशुल्क पाठयपुस्तकें एवं लेखन सामग्री का प्रदाय।
- यह विद्यालय 06 वी से 12 वीं तक के प्रतिभावान विद्यार्थियों हेतु संचालित है।

- **<u>क्रीडा परिसर – 09</u>**
- क्रीडा परिसरों में छात्र–छात्राओं खेल प्रतिभा विकसित करने का उपक्रम किया जाता है,
- परिसर पूर्णतः आवासीय सुविधा से युक्त हैं,
- प्रत्येक प्रवेशित छात्र–छात्राओं को प्रतिदिन 100/– रूपये की दर से 3000/– रूपये प्रतिमाह शिष्यवृति के रूप में प्रदान की जाती है, 3000/– खेलकिट के लिए प्रदान किये जाते है।
- क्रीडा परिसर में विभिन्न प्रकार की खेल विधाएं संचालित जेसे कबड्डी बास्केटबाल फुटबाल हाकी तीरदांजी आदि ।

<u>संभाग अंतर्गत आवासीय आश्रम शालाएँ एवं छात्रावास</u> –

- अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाती संबंधित छात्रों को आवासीय एवं शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना।

कक्षा 01 से 12वी तक स्कूली शिक्षा हेतु छात्रावास में छात्र एवं छात्राओं को निशुल्क आवासीयसुविधा, भवन,बिजली एवं पानी, भोजन व्यवस्था, फर्नीचर, बिस्तर सामग्री, पुस्तकालय, कोंचिग जैसी आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं।

विभाग द्वारा प्रदाय की जाने वाली शैक्षणिक एवं आर्थिक सहायता योजनाऍं–

- आश्रम शालाओं –01 से 05 वीं तक संचालित तथा शिष्यवृत्ति
- जूनियर छात्रावास – 06 वी से 08 वीं संचालित तथा शिष्यवृत्ति
- सीनियर छात्रावास (09 से 12 वी ंतक)
- महाविद्यालयीन छात्रावास में प्रवेशित विद्यार्थियों को निशुल्क आवास, बिजली–पानी, फर्नीचर, बिस्तर सामग्री, खेलकूद एवं अन्य आधारभूत सुविधाऍं उपलब्ध करायी जाती हैं।
- निशुल्क भोजन हेतु शिष्यवृत्ति प्रदाय की जाती है।जिससे मैस संचालन किया जाता है।
- अन्य आधारभूत सुविधाऍं उपलब्ध करायी जाती हैं।

आकांक्षा योजना–

- अनुसूचित जनजाति के 11 वीं एवं 12 वीं के अध्यनरत विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा (जे.ई.ई., नीट एवं क्लेट) की तैयारी हेतु इन्दौर, भोपाल एवं जबलपुर पर कोचिंग दिये जाने का प्रावधान है।
- एम्पेनल्ड प्रतिष्ठित कोंचिग संस्थानो द्वारा कोचिग प्रदान की जावेगी।
- **कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना (11 वीं)**

योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की सभी प्रवेशित बालिकाओं को जो कक्षा 10 वीं उत्तीण है को प्रोत्साहन स्वरूप राशि रू. 3000/– दिये जाते हैं।

- **अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को सायकिल प्रदाय योजना (11 वीं)**

योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की सभी प्रवेशित बालिकाओं को जो कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण है उनको प्रोत्साहन स्वरूप राशि रू. 3000/– दिये जाते हैं ।

▪ **शंकर शाह पुरस्कार एवं रानी दुर्गावती मेधावी छात्र पुरस्कार योजना–**

योजना में कक्षा 10वीं एवं 12 वीं बोर्ड परीक्षा की मेरिट में पहले तीन स्थान के बालक या बालिका तथा अगले 03 स्थान के बालिकाओं के लिये आरक्षित किये गये हैं।

क्र.	**मेरिट सूची में स्थान**	**पुरस्कार राशि रूपयों में**	
		कक्षा 10वीं	**कक्षा 12 वीं**
01	प्रथम (बालक या बालिका)	51000	51000
02	द्वितीय (बालक या बालिका)	40000	40000
03	तृतीय (बालक या बालिका)	30000	30000
04	चतुर्थ (केवल बालिका)	15000	20000
05	पंचम (केवल बालिका)	10000	15000
06	छठवा (केवल बालिका)	5000	10000

- **विद्यार्थी कल्याण योजना–**

अनुसूचित जनजाति के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को विशेष रोग से पीड़ित होने पर इलाज हेतु, आकस्मिक विपती में, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहन स्वरूप सहायता दी जाती है। छात्रावास/आश्रमों में निवासरत रहते हुए मृत्यु उपरांत 25000/– रूपये स्वीकृती हेतु कलेक्टर को पूर्ण अधिकार प्रदत्त किए गये है।

➢ योजना अंतर्गत देय सहायता/राशिः–

- विशिष्ट आयोजनों में सम्मिलित होने हेतु पोषाक – 3000/–
- निःशक्त छात्र छात्राओं को ट्रायसाईकल हेतु – 3000/–
- असमामयिक विपति हेतु 25000/–
- विशेष रोग, केंसर ,टी.बी., हद्रय रोग आदि 10,000/–

अनुसूचित जनजातीय प्रतिभा योजना

कक्षा 12वी उत्तीर्ण विधार्थियो को राष्ट्रीय प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से राष्ट्रीय एव राज्य स्तर की प्रतिष्टित संस्थाओ में चयन होने पर पुरूस्कार राशि प्रदाय की जाती है।

क्रंमाक	**पाटयक्रम**	**प्रोत्साहन राशि**
1	जेइई आईआइटी	50,000
2	एम्स	50,000
3	एनडीए	50,000
4	क्लैट से एनएलआईयू	50,000
5	नीट मेडीकल कॉलेज (शास. कॉलेज)	25,000
6	जेइई एर्नआइटी	25,000
7	एफडीडीआई	25,000
8	एनआईएफटी	25,000
9	आईएचएम	25,000

धन्यवाद